



बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

आम सूचना

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनधारी अपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त होने वाले बैंक खाता का आधार सीडिंग शीघ्र करा लें।

- सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को **“आधार आधारित भुगतान”** किया जाना है।
- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के आधार सीडेड पेंशनधारियों को माह मई, 2023 से **“आधार आधारित भुगतान”** (Aadhar Bridge Payment) प्रारम्भ किया गया है।
- आधार आधारित भुगतान के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी को अपने पेंशन प्राप्त होने वाले बैंक खाता का आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है।
- वैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी जिनका सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त होने वाला बैंक खाता आधार सीडेड नहीं है, तो संबंधित बैंक में अपने आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक के साथ जाकर अपने बैंक खाता का आधार सीडिंग अवश्य करा लें।
- बैंक खाता को आधार सीडिंग कराने की प्रक्रिया निःशुल्क है।

अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग या संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय या TOLL FREE NUMBER से सम्पर्क कर सकते हैं।

Toll Free Number: 1800-345-62-62

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना